



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275143
CG-DL-E-04082026-275143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4096]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 4096]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4272(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH-752H के कि.मी. 33.173 से कि.मी. 34.333 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 752H पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा भू	राष्ट्रीय राजमार्ग	महाराष्ट्र	छत्रपति संभाजीनगर	वैजापूर	1 रोटेगाव

	संपादन अधिकारी, वैजापूर	संख्या NH752H के कि.मी 33.173 से कि.मी 34.333 तक				2	आघूर
--	-------------------------	--	--	--	--	---	------

[फा. सं. RO/MUM/DPR/617/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4272(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 33.173 to km. 34.333 of NH-752H in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.NH-752H in the State of MAHARASHTRA

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDO(Revenue)&LAO, Vaijapur	NH752H KM 33.173 TO KM 34.333	MAHARASHTRA	Chhatrapati Sambhajinagar	Vaijapur	1 Rotegaon 2 Aghur

[F. No. RO/MUM/DPR/617/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director